भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1183
दिनांक 03 दिसम्बर, 2024 / 12 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

चंडीगढ़ में सहकारी समितियों के लिए संपरिवर्तन शुल्क

†1183. श्री मनीश तिवारीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की योजना सहकारी समितियों के लिए मूल नीति के अनुसार संपरिवर्तन शुल्क की गणना करने के लिए चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के दृष्टिकोण की समीक्षा करने की है;

(ख) चंड़ीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा संपरिवर्तन शुल्क, अनर्जित वृद्धि और ग्राउंड पर 18 प्रतिशत जीएसटी वसूलने के क्या कारण हैं, जबकि संपदा कार्यालय के अंतर्गत समितियों को ऐसे शुल्कों से छूट दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने चंडीगढ़ में सहकारी समिति के फ्लैटों में आवश्यकता-आधारित संरचनात्मक संशोधनों, जैसे बरामदों में ग्लेज़िंग या रेन शेड लगाने की अनुमति देने पर विचार किया है; और

(घ) सरकार द्वारा चंडीगढ़ में सहकारी आवास समितियों के लिए दीर्घकाल से लंबित पूर्णता प्रमाणपत्र, जिनमें से कुछ का अनुमोदन 2001 से प्रतिक्षित है, जारी किए जाने में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

(ख) चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा रूपांतरण शुल्क पर 18% GST लगाया जाता है। हालांकि, GST विभाग के अग्रिम मूल्यांकन प्राधिकरण से GST शुल्क की उपयुक्तता पर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण माँगा गया है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1183, दिनांक 03.12.2024

(घ) संपदा कार्यालय के अंतर्गत 113 समितियां हैं जिनमें से 88 समितियों को पूर्णता प्रमाणपत्र जारी किया जा चुका है। शेष 25 समितियों में से 13 समितियों ने कभी भी पूर्णता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन नहीं किया। 2 मामलों में पूर्णता प्रमाणपत्र के आवेदनों को अस्वीकृत किया गया। आवेदक समितियों द्वारा कमियों में सुधार न किए जाने के कारण 10 आवेदन लंबित हैं।

******